न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

(न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कठूमर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/63/2012

वउनवान

1. अनोखा उर्फ अनुपसिंह पुत्र बाबू जाति जाट निवासी रानोता तहसील कठूमर

------ सायला

बनाम

1. कविता पुत्री बाबू पत्नि खैमचन्द जाति जाट निवासी बीकरू तहसील नदबई
2. किस्तूरी पत्नि बाबूलाल जाति जाट निवासी रानोता तहसील कठूमर
3. उप पंजीयक महोदय कठूमर तहसील कठूमर

----- गैरसायल

दर0 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री राधेश्याम चौधरी एडवोकेट : वकील सायल

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट : वकील गैरसायलान

आदेश

दिनांक 01.05.2018

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1408 रकवा 0.94 हे. , 1436 रकवा 0.78 हे., 1437 रकवा 1.33 हे. 1057/1850 रकवा 0.29 हे. , 1061 रकवा 0.41 हे., , वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी सायन एवं गैरसायल संख्या 1–2 की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायल एवं गैरसायल सभी शामलात में काबिज है तथा काश्त कर रहे हैं। तथा अपनी सुविधानुसार उपयोग एवं उपभोग कर रहे है किसी का भी हिस्सा कानूनी रूप से बंटा हुआ नहीं है इस कारण सायल अपने हिस्से की अलग से तकसीम करवाकर अपना खाता अलग से कायम करवाना चाहता हैं इस हेतु गैरसायलान से कई बार निवेदन किया है लेकिन गैरसायलान राजीखुशी बंटवारा करने को तैयार नहीं हैं उक्त विवादित आराजी में खसरा नम्बर

1408,1436,1437 में सायल का 1/24 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1057/1850 रकबा 0.29 हे. में सायल का मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी तथा आराजी खसरा नम्बर 1061 रकबा 0.44 हे. में सायल का 1/12 हिस्सा है शेष हिस्सा गैरसायल का है तथा शामलात में काबिज है। गैरसायलान जबरदस्त व्यक्ति है जो सायल को शामलात में उसके हिस्सेनुसार शामलात मे काश्तकारी कार्य करने में रूकावट वो मजाहमत पैदा करते है इस कारण शामलात में काश्त करना तथा उपयोग एवं उपभोग करना सम्भव नहीं रहा है सायल आराजी मुतनाजा के अपने हिस्से को अलग से तकसीम करवाना चाहता है गैरसायलान बंटवारा करने को तैयार नहीं हैं। दिनांक 01.05.2012 को सायल ने गैरसायलान से आराजी का कानूनी रूप से तकासमा कराने के लिए निवेदन किया तो गैरसायलान बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा गैरसायल संख्या 1 एवं 2 ने सायल को एलानिया धमकी दी कि अब हम तुझे आराजी मुतनाजा में शामलात में उपयोग एवं उपभोग नहीं करने देगें तथा हम आराजी मुतनाजा को बिना तकसीम कराये ही किसी की रहन बय मुन्तकिल कर देगें। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना–पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में सावित है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1408 रकबा 0.94 हे., 1436 रकबा 0.78 हे. , 1437 रकबा 1.33 हे. में सायल का 1/24 हिस्सा तथा आराजी खसरा नम्बर 1057/1850 रकबा 0.29 हे. में मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी तथा खसरा नम्बर 1061 रकबा 0.44 हे. में सायल को 1/12 हिस्सा वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर के में शामलात में काश्तकारी कार्य करने तथा उपयोग एवं उपभोग करने में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा नहीं करे, जबरन बेदखल नहीं करें तथा आराजी मुतनाजा को बिना तकसीम कराये किसी को रहन बय मुन्तकिल नहीं करें तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति कायम रखने की प्रार्थना की है। गैरसायल संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाव पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी सायल एवं गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है यदि उक्त आराजी का कानूनी तकासमा दिया जावे तो मै सहमत हूँ।गैरसायालन ने सायला के हिस्सा मुताबिक कब्जे काश्त में किसी तरह बाधा पैदा नहीं की हैं। विवादित आराजी की कुरेजात बनाकर तकसीम कर अलग अलग खातेदारी दर्ज कर दी जावे तो

गैरसायला सहमति देती हैं दिनांक 01.05.2012 की कहानी मनगढन्त है गैरसायला ने विवादित आराजी के कानूनी तकासमा के लिए कभी इन्कार नहीं किया। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। तमाम तथ्य गलत होने से प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र सायला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। गैरसायलान संख्या 3 उपस्थित हुये। वकील गैरसायलान द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 ग्राम कठूमर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायला ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया आराजी खसरा नम्बर 1408 रकवा 0.94 हे. , 1436 रकवा 0.78 हे., 1437 रकवा 1.33 हे. 1057/1850 रकवा 0.29 हे. , 1061 रकवा 0.44 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अधिवक्ता सायला के तथ्यों का विरोध करते हुये अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्रों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीनी ने गलत एवं झूठे तथ्य पेश किय है।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1408 रकवा 0.94 हे. , 1436 रकवा 0.78 हे., 1437

रकवा 1.33 हे. 1057/1850 रकवा 0.29 हे. , 1061 रकवा 0.44 हे. वाके ग्राम कठूमर सायला की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिसको गैरसायलान ने स्वीकार किया है। खसरा नम्बर 1408 रकवा 0.94 हे. , 1436 रकवा 0.78 हे., 1437 रकवा 1.33 हे. 1057/1850 रकवा 0.29 हे. , 1061 रकवा 0.44 हे. वाके ग्राम कठूमर के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावा स्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया सायला के पक्ष में बनता है। सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायला के पक्ष में प्रवल है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीयान को पाबन्द किया जाता हे कि दावे के अंतिम निस्तारण तक सायला की खातेदारी भूमि खसरा 1408 रकवा 0.94 हे. , 1436 रकवा 0.78 हे., 1437 रकवा 1.33 हे. 1057/1850 रकवा 0.29 हे. , 1061 रकवा 0.44 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर पर सायला के दर्ज हिस्से, कब्जे काश्त में दखलनदाजी नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 01.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर